न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/136 **दायरा दिनांक : 23.11.2021**

उनवान

1. चेतन मीणा, आयु 30 वर्ष पुत्र मोहनलाल, जाति मीणा
2. हरिओम, आयु 22 वर्ष पुत्र मोहनलाल, जाति मीणा
3. मोहनलाल, आयु 53 वर्ष पुत्र चौथमल, जाति मीणा
   निवासीगण हरिपुरा, तहसील व जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. चौथमल पुत्र नेनगा, जाति मीणा, निवासी हरिपुरा
2. गीताबाई पुत्री चौथमल पत्नी रूपनारायण, जाति मीणा, निवासी कामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
3. कलावती पुत्री चौथमल, जाति मीणा
4. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ0 पी0 मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 24.10.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 60/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके माल हरिपुरा, तहसील बारां में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 110 रकबा 1.29 हेक्टर, खसरा नं. 117 रकबा 0.42 हेक्टर, खसरा नं. 118 रकबा 2.05 हेक्टर व खसरा नं. 463 रकबा 2.94 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 6.70 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2018 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प बटावदा में उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो खिलाफ कानून व विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निर्णय व डिक्री काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व लोक अदालत केम्प के अन्तर्गत पक्षकारान की सहमति व सभी पक्षकारान की उपस्थिति में ही निर्णय पारित किया जा सकता था जबकि उक्त प्रकरण में राजस्व लोक अदालत केम्प बटावदा के अन्तर्गत पूर्व में दिनांक 15.04.2018 को अपीलांटगण व

रेस्पोडेंट कम 1 के चौथमल के मध्य राजीनामा पेश हुआ था जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.06.2018 लोक अदालत केम्प के लिये नियत की गई, किन्तु राजस्व लोक अदालत केम्प बटावदा में ग्राम हरिपुरा की कुल आराजी 6.70 हेक्टर के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया जो राजस्व लोक अदालत केम्प बटावदा में बिना किसी आधार के केवल रेस्पोडेंट कम 1 से मौखिक पूछताछ बताते हुए उसके दो पुत्रियां रेस्पोडेंट कम 2 व 3 गीताबाई व कलावती का होना मानकर उन्हें पृथक से पक्षकार बनाकर उनका हिस्सा निर्धारित कर दिया गया, जबकि उक्त तथ्य ना तो दावे की प्लीडिंग में थे, न दिनांक 15.04.2018 को पेश किये गये राजीनामे में थे, न किसी के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया और न रेस्पोडेंट कम 2 व 3 राजस्व लोक अदालत केम्प में उपस्थित हुई इस प्रकार राजस्व लोक अदालत केम्प बटावदा में केम्प की भावनाओं से परे जाकर बिना किसी प्रार्थना पत्र पेश किये पक्षकार बनाना व उनका हिस्सा निर्धारित करना विधि सम्मत नहीं होते हुए भी अपने अधिकार का व क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2018 पारित किया गया है, जो खिलाफ कानून व विधि की मंशा के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ नयायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2018 निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे कि राजीनामा व रेस्पोडेंट कम 2 व 3 को पृथक से राजस्व लोक अदालत केम्प बटावदा में बनाये गये पक्षकारों के संबंध में अपीलांट को समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.11.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में चेतन ने वाद पेश किया था। हरिओम व मोहनलाल के द्वारा चौथमल, राजस्थान सरकार को वाद में पक्षकार बनाया गया। विवादग्रस्त आराजी का चौथमल खातेदार था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी को प्रदर्श नहीं डाला गया है। अधीनस्थ न्यायालय में चौथमल की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया है। पक्षकारान की तरफ से राजीनामा दिनांक 25.04.2018 को पेश किया गया है जो तस्दीक हुआ है। राजस्व लोक अदालत केम्प बटावदा में बयान हुए जिन पर चारों पक्षकारों के ही हस्ताक्षर मौजूद है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री में गीताबाई, कलावती के नाम जोड़ दिये गये जबकि उन्हें पक्षकार बनाया ही नहीं गया था। उक्त वाद में गीताबाई, कलावती पुत्रियां हैं या नहीं, इस सन्दर्भ में पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। गीताबाई, कलावती पुत्रियां हैं या नहीं इसकी विधिवत जांच किये बिना ही उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें वाद में पक्षकार बनाये बिना ही डिक्री में उनका

हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। नोटिस भी चार पक्षकारों को ही जारी हुए पटवारी की रिपोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के संबंध में घोषणा एवं बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया। उक्त दावे में वादी/अपीलांट व प्रतिवादी/रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा दिनांक 25.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजी को वादी नं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी नं. 1 के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजीनामे पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित है एवं उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा उभयपक्षकारान की पहचान करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.04.2018 के अनुसार वादी व प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस राजीनामा दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प बटावदा में पेश हो। इस आदेशिका पर उभयपक्षकारान एवं उनके अभिभाषकगण के हस्ताक्षर अंकित है जो राजीनामा उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 25.04.2018 को तस्दीक किया गया, उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी का वादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य 1/4, 1/4 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज किया जाना था। राजस्व लोक अदालत केम्प बटावदा दिनांक 12.06.2018 में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया, उसमें वादीगण का 1/4 तथा प्रतिवादी नं. 1 चौथमल का 1/4 तथा प्रतिवादी नं. 3 गीताबाई व प्रतिवादी नं. 4 कलावती बाई पुत्रियां चौथमल मीणा का 1/4–1/4 हिस्सा कर उन्हें सहखातेदार घोषित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजस्व लोक अदालत केम्प बटावदा दिनांक 12.06.2018 को निष्पादित एक अन्य राजीनामा एवं वादी अपीलांट नं. 3 व प्रतिवादी रेस्पेडेंट नं. 1 के बयान सलंग्न हैं। विवादित आराजी के खातेदार प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 1 चौथमल मीणा ने अपने बयान में कथन किया है कि मेरे एक लड़का वादी (3) मोहनलाल व दो लड़कियां गीताबाई व कलावती बाई है। गीताबाई व कलावती बाई की शादी करके वे उनके ससुराल में निवास कर रही है। आराजी पर काबिज नहीं है। गीताबाई व कलावती बाई का पुत्रियां होने से उनका भी हक आराजी में निहित किया जाता है तो मुझे आपत्ति नहीं है। उन्हें भी 1/4, 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित करने में मेरी

सहमति है। इसी प्रकार वादी अपीलांट कम 3 ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि मेरे अलावा मेरे पिता के दौ लड़कियां गीताबाई व कलावती बाई भी है। उनकी शादी सम्पन्न परिवार में हो चुकी है। वे विवादित आराजी पर काबिज नहीं है। मेरी बहनों को भी पक्षकार बनाया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपसी सहमति से 1/4 हिस्सा लेने में सहमत हूं। चौथमल मीणा व मोहनलाल मीणा दोनों के अपने बयानों पर हस्ताक्षर अंकित है। इसी प्रकार राजस्व लोक अदालत कैम्प बटावदा दिनांक 12.06.2018 को वादी व प्रतिवादी के मध्य निष्पादित राजीनामे पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षर अंकित है। उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर होने से वे राजीनामे से बाध्य है। इस राजीनामें के अनुसार वादी कम 1 मोहनलाल प्रतिवादी नं. 1 चौथमल का पुत्र है तथा वादी कम 1 व 2 मोहनलाल के पुत्र हैं। विवादित आराजी प्रतिवादी चौथमल की 4 किता 6.70 हेक्टर ग्राम हरिपुरा में दर्ज है। प्रतिवादी चौथमल के वादी 3 मोहनलाल के अलावा प्रतिवादी नं. 3 गीताबाई, प्रतिवादी नं. 4 कलावती बाई दो लड़कियां हैं उनका भी उक्त आराजी में हक हिस्सा 1/4–1/4 किया जावे इसके लिए सहमत है। वादीगण 1 ता 3 का 1/4 तथा प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 का 1/4 – 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। 1/4, 1/4 से बंटवारा भी कर दिया जाए। इसी राजीनामे व बयानों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2018 को निर्णय पारित कर वादीगण अपीलांट को 1/4 तथा प्रतिवादी 1 को 1/4 तथा प्रतिवादी 3 व 4 गीताबाई, कलावती बाई पुत्रियां चौथमल मीणा को 1/4, 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर डिक्री पारित की। राजस्व लोक अदालत की मूल भावना व उभयपक्षकारों द्वारा दिनांक 12.06.2018 को निष्पादित दूसरे राजीनामे के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.06.2018 उभयपक्षकारों द्वारा राजस्व लोक अदालत में निष्पादित द्वितीय राजीनामे व वादी अपीलांट नं. 3 व प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 1 के बयानों के अनुरूप होने से यथावत रखा जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/10/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. चेतन मीणा, आयु 30 वर्ष पुत्र मोहनलाल, जाति मीणा
2. हरिओम, आयु 22 वर्ष पुत्र मोहनलाल, जाति मीणा
3. मोहनलाल, आयु 53 वर्ष पुत्र चौथमल, जाति मीणा

निवासीगण हरिपुरा, तहसील व जिला बारां (राज0)

.... **अपीलांट**

बनाम

1. चौथमल पुत्र नेनगा, जाति मीणा, निवासी हरिपुरा
2. गीताबाई पुत्री चौथमल पत्नी रूपनारायण, जाति मीणा, निवासी कामखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
3. कलावती पुत्री चौथमल, जाति मीणा
4. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2021/136**
मु.द.नं0 **60/2017**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **12.06.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **25 माह 09** सन् **2024**

श्री **ओ0 पी0 मेहता** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **24 माह 10 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)